SKU JOURNAL OF LEX VIBRENT
(NATIONAL PEER REVIEWED E-RESEARCH JOURNAL)
Impact Factor – SJIF 2025 = 5.071
July–September 2026
E-ISSN 3048-7323
Vol-3
Issue-3

समान नागरिक संहिता एक: समाजशास्त्रीय अध्ययन

बीरेन्द्र पाल
समाजशास्त्र विभाग
श्री कृष्णा विश्वविद्यालय, छतरपुर (म.प्र.)

सारांश

भारत एक बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक एवं बहुभाषी राष्ट्र है, जहाँ विभिन्न धार्मिक समुदायों के लिए विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेने तथा पारिवारिक संबंधों से संबंधित अलग-अलग वैयक्तिक विधियाँ प्रचलित हैं। भारतीय संविधान के नीति-निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 44 में राज्य को समान नागरिक संहिता लागू करने का निर्देश दिया गया है। समान नागरिक संहिता का मूल उद्देश्य सभी नागरिकों को धर्म, जाति एवं समुदाय के आधार पर भेदभाव किए बिना समान नागरिक अधिकार प्रदान करना है। यह केवल एक विधिक सुधार नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन का भी महत्वपूर्ण माध्यम है।

समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से समान नागरिक संहिता सामाजिक समानता, लैंगिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़ा हुआ विषय है। दूसरी ओर, यह धार्मिक स्वतंत्रता, सांस्कृतिक विविधता तथा अल्पसंख्यक अधिकारों से संबंधित अनेक प्रश्न भी उत्पन्न करता है। इस कारण यह विषय भारतीय समाज में निरंतर बहस एवं विमर्श का केंद्र बना हुआ है। प्रस्तुत शोध-पत्र में समान नागरिक संहिता की अवधारणा, संवैधानिक आधार, समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य, विभिन्न सामाजिक समूहों पर इसके प्रभाव, चुनौतियों एवं संभावनाओं का विश्लेषण किया गया है। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि समान नागरिक संहिता का उद्देश्य सामाजिक न्याय एवं समानता स्थापित करना है, परंतु इसकी सफलता के लिए सामाजिक सहमति, व्यापक जन-जागरूकता, संवैधानिक मूल्यों के प्रति सम्मान तथा सभी समुदायों की सहभागिता आवश्यक है।

बीज शब्द

समान नागरिक संहिता, अनुच्छेद 44, समाजशास्त्र, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, लैंगिक समानता, व्यक्तिगत विधि, संविधान, राष्ट्रीय एकता, सामाजिक परिवर्तन।

1. प्रस्तावना

भारतीय समाज विश्व के सर्वाधिक विविधतापूर्ण समाजों में से एक है। यहाँ विभिन्न धर्मों, भाषाओं, संस्कृतियों एवं परंपराओं के लोग सह-अस्तित्व के साथ जीवन व्यतीत करते हैं। यही विविधता भारत की सांस्कृतिक शक्ति है, किन्तु कई बार यही विविधता विधिक एवं सामाजिक जटिलताओं का कारण भी बनती है। विशेष रूप से विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेना एवं भरण-पोषण जैसे नागरिक विषयों में विभिन्न धार्मिक समुदायों के लिए अलग-अलग व्यक्तिगत कानून लागू होने से समानता एवं न्याय से संबंधित अनेक प्रश्न उत्पन्न होते हैं।भारतीय संविधान के निर्माताओं ने इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए संविधान के भाग-IV में नीति-निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 44 का समावेश किया। इसमें राज्य से अपेक्षा की गई है कि वह नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करेगा। यद्यपि यह अनुच्छेद न्यायालय द्वारा प्रत्यक्ष रूप से लागू नहीं कराया जा सकता, फिर भी यह भारतीय राज्य की दीर्घकालिक सामाजिक एवं विधिक नीति का महत्वपूर्ण आधार है। समान नागरिक संहिता का अर्थ यह नहीं है कि किसी विशेष धर्म की परंपराओं को अन्य समुदायों पर थोपा जाए। इसका उद्देश्य नागरिक मामलों में सभी व्यक्तियों के लिए समान विधिक व्यवस्था स्थापित करना है। यह संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार), अनुच्छेद 15 (भेदभाव का निषेध), अनुच्छेद 21 (गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार) तथा अनुच्छेद 25 (धार्मिक स्वतंत्रता) के मध्य संतुलन स्थापित करने का प्रयास करता है। समाजशास्त्र के अनुसार कानून केवल सामाजिक नियंत्रण का साधन नहीं होता, बल्कि सामाजिक परिवर्तन का भी प्रभावी माध्यम होता है। समाजशास्त्री मानते हैं कि जब सामाजिक संरचना में असमानताएँ उत्पन्न होती हैं, तब विधिक सुधार उनके समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

2. शोध समस्या

भारतीय समाज में विभिन्न धार्मिक समुदायों के लिए अलग-अलग व्यक्तिगत कानून लागू होने के कारण नागरिक अधिकारों की समानता, महिलाओं के अधिकार, उत्तराधिकार, विवाह एवं पारिवारिक न्याय से संबंधित अनेक समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। विभिन्न धार्मिक परंपराओं एवं संवैधानिक मूल्यों के मध्य संतुलन स्थापित करना भारतीय लोकतंत्र के समक्ष एक महत्वपूर्ण चुनौती है। मुख्य शोध समस्या निम्नलिखित है–

"क्या समान नागरिक संहिता भारतीय समाज में सामाजिक समानता, लैंगिक न्याय एवं राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ कर सकती है, अथवा यह धार्मिक एवं सांस्कृतिक विविधता के लिए चुनौती सिद्ध होगी?"

3. शोध के उद्देश्य

1. समान नागरिक संहिता की अवधारणा का अध्ययन करना।
2. समान नागरिक संहिता के संवैधानिक एवं विधिक आधार का विश्लेषण करना।
3. समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से समान नागरिक संहिता की प्रासंगिकता का अध्ययन करना।
4. महिलाओं एवं कमजोर वर्गों के अधिकारों पर इसके प्रभाव का मूल्यांकन करना।
5. समान नागरिक संहिता के समक्ष उपस्थित सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक चुनौतियों का अध्ययन करना।
6. समान नागरिक संहिता के माध्यम से सामाजिक न्याय एवं राष्ट्रीय एकता की संभावनाओं का विश्लेषण करना।

4. शोध परिकल्पना

समान नागरिक संहिता सामाजिक समानता को प्रोत्साहित करेगी।समान नागरिक संहिता महिलाओं के संवैधानिक एवं विधिक अधिकारों को अधिक प्रभावी बनाएगी। सामाजिक जागरूकता एवं जन-सहमति के बिना समान नागरिक संहिता का प्रभावी क्रियान्वयन कठिन

होगा। भारतीय संविधान के मूल्यों के अनुरूप समान नागरिक संहिता राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ कर सकती है।

5. शोध विधि

यह अध्ययन गुणात्मक एवं वर्णनात्मक शोध पद्धति पर आधारित है। इसमें मुख्यतः द्वितीयक स्रोतों का उपयोग किया गया है।

अध्ययन के स्रोत

अध्ययन मुख्यतः द्वितीयक स्रोतों पर आधारित है, जिनमें संविधान, न्यायालयों के निर्णय, विधि आयोग की रिपोर्टें, शोध-पत्र, पुस्तकें एवं सरकारी दस्तावेज सम्मिलित हैं।

अध्ययन की सीमाएँ

यह अध्ययन केवल द्वितीयक स्रोतों पर आधारित है। इसमें किसी विशेष समुदाय का क्षेत्रीय सर्वेक्षण अथवा प्राथमिक आंकड़ों का संकलन सम्मिलित नहीं किया गया है।

6. साहित्य समीक्षा

समान नागरिक संहिता पर अनेक विधिवेत्ताओं, समाजशास्त्रियों एवं संवैधानिक विशेषज्ञों ने विस्तृत अध्ययन किया है। एम. पी. जैन ने भारतीय संवैधानिक व्यवस्था के संदर्भ में अनुच्छेद 44 की व्याख्या करते हुए कहा है कि समान नागरिक संहिता सामाजिक समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण संवैधानिक लक्ष्य है। डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने संविधान सभा में स्पष्ट किया था कि समान नागरिक संहिता का उद्देश्य किसी धर्म विशेष पर आघात करना नहीं, बल्कि नागरिक मामलों में समानता स्थापित करना है। उनके अनुसार आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य में नागरिक अधिकार धर्म के आधार पर अलग-अलग नहीं होने चाहिए। फ्लाविया एग्नेस ने अपने अध्ययनों में महिलाओं के अधिकारों के संदर्भ में व्यक्तिगत कानूनों की समीक्षा करते हुए कहा है कि केवल समान नागरिक संहिता ही पर्याप्त नहीं होगी; कानून के साथ-साथ सामाजिक सुधार भी आवश्यक हैं। ताहिर महमूद ने भारतीय व्यक्तिगत विधियों के तुलनात्मक अध्ययन में यह निष्कर्ष प्रस्तुत किया कि भारत में क्रमिक एवं सहमति-आधारित विधिक सुधार अधिक व्यावहारिक होंगे।

7. समान नागरिक संहिता की अवधारणा

समान नागरिक संहिता का आशय ऐसी समान नागरिक विधि से है जो भारत के सभी नागरिकों पर, उनके धर्म, जाति, समुदाय अथवा पंथ की परवाह किए बिना, समान रूप से लागू हो। इसका संबंध मुख्यतः विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेना, संरक्षकता, भरण-पोषण तथा संपत्ति के हस्तांतरण जैसे नागरिक विषयों से है। इसका उद्देश्य धार्मिक स्वतंत्रता को समाप्त करना नहीं, बल्कि नागरिक अधिकारों के क्षेत्र में समानता स्थापित करना है।वर्तमान समय मंा भारत में विभिन्न धार्मिक समुदायों के लिए अलग-अलग व्यक्तिगत विधियाँ लागू हैं। उदाहरणार्थ, हिंदुओं के लिए हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम तथा अन्य संबंधित कानून लागू हैं, जबकि मुस्लिम समुदाय मुख्यतः मुस्लिम व्यक्तिगत कमून (शरीयत) के अंतर्गत संचालित होता है। इसी प्रकार ईसाई, पारसी तथा अन्य समुदायों के लिए भी पृथक वैयक्तिक कानून विद्यमान हैं। समाजशास्त्रीय दृष्टि से यह व्यवस्था भारत की सांस्कृतिक विविधता को प्रदर्शित करती है, परंतु अनेक बार समान नागरिक अधिकारों के मार्ग में बाधा भी बन जाती है। विशेषकर महिलाओं के उत्तराधिकार, तलाक, भरण-पोषण तथा संपत्ति संबंधी अधिकारों में विभिन्न व्यक्तिगत कानूनों के कारण असमानताएँ देखने को मिलती हैं।

8. समान नागरिक संहिता का संवैधानिक आधार

भारतीय संविधान समान नागरिक संहिता की अवधारणा को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्रदान करता है। संविधान के विभिन्न अनुच्छेद इस दिशा में महत्वपूर्ण आधार प्रस्तुत करते हैं।

(क) अनुच्छेद 14 - विधि के समक्ष समानता

अनुच्छेद 14 प्रत्येक नागरिक को विधि के समक्ष समानता तथा विधियों के समान संरक्षण का अधिकार प्रदान करता है। यदि समान परिस्थितियों में व्यक्तियों के साथ केवल उनके धर्म के आधार पर भिन्न व्यवहार किया जाता है, तो यह समानता के सिद्धांत के विपरीत माना जा सकता है।

(ख) अनुच्छेद 15 - भेदभाव का निषेध

यह अनुच्छेद धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान आदि के आधार पर राज्य द्वारा भेदभाव को निषिद्ध करता है। समान नागरिक संहिता का एक प्रमुख उद्देश्य भी नागरिक अधिकारों में इस प्रकार के भेदभाव को समाप्त करना है।

(ग) अनुच्छेद 21 - जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार

सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 की व्यापक व्याख्या करते हुए गरिमापूर्ण जीवन, समान अवसर तथा मानवाधिकारों को इसमें सम्मिलित माना है। महिलाओं के सम्मान एवं समान अधिकार भी इसी अनुच्छेद की व्यापक अवधारणा का हिस्सा हैं।

(घ) अनुच्छेद 25 - धार्मिक स्वतंत्रता

प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म का पालन, प्रचार एवं प्रसार करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। किन्तु यह स्वतंत्रता पूर्णतः निरपेक्ष नहीं है। यह सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य तथा अन्य मौलिक अधिकारों के अधीन है। अतः धार्मिक स्वतंत्रता एवं सामाजिक न्याय के मध्य संतुलन स्थापित करना आवश्यक है।

(ङ) अनुच्छेद 44 - समान नागरिक संहिता

अनुच्छेद 44 राज्य को निर्देश देता है कि वह भारत के समस्त नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करेगा। यद्यपि यह नीति-निर्देशक तत्व है और न्यायालय द्वारा प्रत्यक्ष रूप से लागू नहीं कराया जा सकता, फिर भी शासन की नीति निर्धारण प्रक्रिया में इसका विशेष महत्व है।

9. समान नागरिक संहिता से संबंधित प्रमुख न्यायिक निर्णय

भारतीय न्यायपालिका ने समय-समय पर समान नागरिक संहिता की आवश्यकता पर महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ की हैं।

(1) शाह बानो बनाम भारत संघ (1985)

यह मामला तलाकशुदा मुस्लिम महिला के भरण-पोषण से संबंधित था। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत प्रत्येक परित्यक्त महिला को

भरण-पोषण प्राप्त करने का अधिकार है। न्यायालय ने अनुच्छेद 44 का उल्लेख करते हुए समान नागरिक संहिता लागू करने की आवश्यकता पर बल दिया।यह निर्णय महिलाओं के अधिकारों तथा सामाजिक न्याय के क्षेत्र में ऐतिहासिक माना जाता है।

(2) सरला मुद्गल बनाम भारत संघ (1995)

इस वाद में कुछ व्यक्तियों ने दूसरी शादी करने के उद्देश्य से धर्म परिवर्तन किया था। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि व्यक्तिगत कानूनों में भिन्नता के कारण ऐसी कानूनी विसंगतियाँ उत्पन्न होती हैं, जिन्हें समान नागरिक संहिता द्वारा दूर किया जा सकता है।

(3) जॉन वल्लामट्टोम बनाम भारत संघ (2003)

इस मामले में ईसाई समुदाय से संबंधित उत्तराधिकार कानून की संवैधानिक वैधता का प्रश्न था। न्यायालय ने पुनः यह टिप्पणी की कि समान नागरिक संहिता राष्ट्रीय एकता एवं समानता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हो सकती है।

(4) शायरा बानो बनाम भारत संघ (2017)

इस ऐतिहासिक निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने तीन तलाक (तलाक-ए-बिद्दत) को असंवैधानिक घोषित किया। न्यायालय ने महिलाओं की गरिमा, समानता तथा संवैधानिक अधिकारों को सर्वोपरि माना। इस निर्णय ने व्यक्तिगत कानूनों में सुधार की आवश्यकता को पुनः रेखांकित किया।

10. समान नागरिक संहिता का समाजशास्त्रीय विश्लेषण

समाजशास्त्र कानून को केवल नियमों का संग्रह नहीं मानता, बल्कि सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक नियंत्रण तथा सामाजिक न्याय का महत्वपूर्ण साधन मानता है। समान नागरिक संहिता का अध्ययन भी विभिन्न समाजशास्त्रीय सिद्धांतों के आधार पर किया जा सकता है।

(क) संरचनात्मक-कार्यात्मक दृष्टिकोण

संरचनात्मक-कार्यात्मक सिद्धांत के अनुसार समाज अनेक संस्थाओं से मिलकर बना है, जिनका उद्देश्य सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना है। परिवार, धर्म, शिक्षा, राजनीति तथा कानून समाज की प्रमुख संस्थाएँ हैं। यदि विभिन्न समुदायों में नागरिक कानून अलग-अलग होंगे तो सामाजिक

समन्वय प्रभावित हो सकता है। समान नागरिक संहिता सभी नागरिकों के लिए समान नियम स्थापित कर सामाजिक एकीकरण को बढ़ावा दे सकती है। इससे राष्ट्रीय पहचान मजबूत हो सकती है तथा विधिक व्यवस्था अधिक सरल एवं प्रभावी बन सकती है।

(ख) संघर्ष सिद्धांत

संघर्षवादी समाजशास्त्र के अनुसार समाज में शक्ति एवं संसाधनों का असमान वितरण संघर्ष उत्पन्न करता है। अनेक व्यक्तिगत कानूनों में महिलाओं तथा कमजोर वर्गों को पुरुषों की तुलना में कम अधिकार प्राप्त रहे हैं।इस दृष्टिकोण से समान नागरिक संहिता सामाजिक असमानताओं को कम करने का माध्यम बन सकती है। यदि सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हों, तो सामाजिक न्याय एवं समान अवसरों को बढ़ावा मिलेगा।

(ग) नारीवादी दृष्टिकोण

नारीवादी समाजशास्त्र का मानना है कि अधिकांश पारंपरिक व्यक्तिगत कानून पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था से प्रभावित रहे हैं। महिलाओं के उत्तराधिकार, तलाक, संपत्ति तथा भरण-पोषण संबंधी अधिकारों में अनेक असमानताएँ पाई जाती हैं।समान नागरिक संहिता महिलाओं को समान नागरिक अधिकार प्रदान करने का महत्वपूर्ण माध्यम बन सकती है। इससे लैंगिक न्याय, आर्थिक सशक्तिकरण तथा सामाजिक सम्मान में वृद्धि होने की संभावना है।हालाँकि कुछ नारीवादी विद्वानों का यह भी मत है कि केवल कानून बदलने से वास्तविक समानता स्थापित नहीं होगी। इसके लिए शिक्षा, सामाजिक जागरूकता तथा मानसिकता में परिवर्तन भी आवश्यक है।

(घ) सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत

समाज निरंतर परिवर्तनशील है। औद्योगीकरण, नगरीकरण, शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी तथा वैश्वीकरण ने भारतीय समाज में व्यापक परिवर्तन उत्पन्न किए हैं। आज महिलाएँ शिक्षा, प्रशासन, न्यायपालिका, राजनीति, उद्योग तथा विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। ऐसे परिवर्तित सामाजिक परिवेश में नागरिक कानूनों का भी समयानुकूल होना आवश्यक है। समान नागरिक संहिता सामाजिक परिवर्तन की इसी प्रक्रिया का एक संभावित चरण मानी जा

सकती है, जिसका उद्देश्य संविधान में निहित समानता एवं न्याय के आदर्शों को व्यवहार में लागू करना है।

11. समान नागरिक संहिता और सामाजिक न्याय

सामाजिक न्याय भारतीय संविधान का मूल उद्देश्य है। इसका अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर, समान अधिकार तथा सम्मानजनक जीवन प्राप्त हो। समान नागरिक संहिता सामाजिक न्याय को निम्न प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है–सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक अधिकार सुनिश्चित होंगे। महिलाओं के विरुद्ध विधिक असमानताओं में कमी आएगी। न्यायिक प्रक्रिया अधिक सरल एवं पारदर्शी होगी।नागरिक अधिकार धर्म आधारित न होकर संविधान आधारित होंगे। राष्ट्रीय एकीकरण एवं संवैधानिक मूल्यों को बल मिलेगा। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो सामाजिक न्याय केवल कानून बनाने से नहीं, बल्कि उसके प्रभावी क्रियान्वयन, जन-जागरूकता तथा सामाजिक स्वीकृति से स्थापित होता है। इसलिए समान नागरिक संहिता की सफलता समाज की सहभागिता, संवाद तथा संवैधानिक चेतना पर निर्भर करेगी।

12. समान नागरिक संहिता के समक्ष सामाजिक एवं विधिक चुनौतियाँ

समान नागरिक संहिता का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक कानून लागू करना है, किंतु इसके क्रियान्वयन में अनेक सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक एवं संवैधानिक चुनौतियाँ विद्यमान हैं। भारत की सामाजिक संरचना अत्यंत विविधतापूर्ण है, जहाँ विभिन्न धर्मों, जातियों एवं सांस्कृतिक परंपराओं का सह-अस्तित्व है। इसलिए किसी भी समान विधिक व्यवस्था को लागू करने से पूर्व इन विविधताओं का समुचित अध्ययन एवं सम्मान आवश्यक है।

(क) धार्मिक एवं सांस्कृतिक विविधता

भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी तथा अनेक जनजातीय समुदाय निवास करते हैं। प्रत्येक समुदाय की अपनी धार्मिक परंपराएँ, विवाह संबंधी रीति-रिवाज, उत्तराधिकार प्रणाली तथा पारिवारिक कानून हैं।समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से व्यक्तिगत कानून केवल विधिक

नियम नहीं हैं, बल्कि वे समुदाय की सांस्कृतिक पहचान का भी महत्वपूर्ण भाग हैं। इसलिए अनेक समुदायों में यह आशंका व्यक्त की जाती है कि समान नागरिक संहिता उनकी धार्मिक एवं सांस्कृतिक पहचान को प्रभावित कर सकती है।

(ख) धार्मिक स्वतंत्रता का प्रश्न

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 प्रत्येक नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। यद्यपि यह स्वतंत्रता पूर्णतः निरपेक्ष नहीं है, फिर भी अनेक विद्वानों का मत है कि समान नागरिक संहिता लागू करते समय धार्मिक स्वतंत्रता एवं संवैधानिक समानता के मध्य संतुलन बनाए रखना आवश्यक होगा।

(ग) राजनीतिक मतभेद

समान नागरिक संहिता भारतीय राजनीति का भी एक प्रमुख विषय रहा है। विभिन्न राजनीतिक दल एवं सामाजिक संगठन इसके पक्ष एवं विपक्ष में अलग-अलग मत रखते हैं। परिणामस्वरूप इस विषय पर राष्ट्रीय सहमति का निर्माण अभी भी एक चुनौती बना हुआ है।

(घ) सामाजिक जागरूकता का अभाव

देश के अनेक भागों में नागरिकों को व्यक्तिगत कानूनों तथा संवैधानिक अधिकारों की पर्याप्त जानकारी नहीं है। यदि बिना पर्याप्त जन-जागरूकता के समान नागरिक संहिता लागू की जाती है, तो उसके प्रति भ्रम एवं विरोध की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

(ङ) जनजातीय एवं पारंपरिक समुदायों की विशिष्ट व्यवस्था

भारत के अनेक अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में स्थानीय परंपराओं एवं रीति-रिवाजों के आधार पर पारिवारिक एवं उत्तराधिकार संबंधी व्यवस्थाएँ संचालित होती हैं। इसलिए समान नागरिक संहिता बनाते समय इन समुदायों की विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान का संरक्षण भी आवश्यक होगा।

13. समान नागरिक संहिता के संभावित लाभ

यदि समान नागरिक संहिता को व्यापक संवाद, सामाजिक सहमति तथा संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप लागू किया जाए, तो इसके अनेक सकारात्मक परिणाम सामने आ सकते हैं।

(1) सामाजिक समानता की स्थापना

समान नागरिक संहिता का सबसे बड़ा उद्देश्य सभी नागरिकों को समान विधिक अधिकार प्रदान करना है। इससे धर्म आधारित नागरिक कानूनों में विद्यमान असमानताओं में कमी आएगी तथा विधि के समक्ष समानता का सिद्धांत अधिक प्रभावी होगा।

(2) महिलाओं का सशक्तिकरण

भारत में कई व्यक्तिगत कानूनों में महिलाओं के अधिकारों को लेकर समय-समय पर बहस होती रही है। समान नागरिक संहिता महिलाओं को विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, भरण-पोषण तथा संपत्ति के मामलों में समान अधिकार प्रदान कर सकती है। इससे लैंगिक न्याय एवं महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा।

(3) न्यायिक प्रक्रिया का सरलीकरण

वर्तमान समय में विभिन्न व्यक्तिगत कानूनों के कारण न्यायालयों के समक्ष अनेक जटिल विधिक प्रश्न उत्पन्न होते हैं। समान नागरिक संहिता लागू होने पर नागरिक मामलों में एकरूपता आएगी तथा न्यायिक प्रक्रिया अधिक सरल एवं प्रभावी बन सकती है।

(4) राष्ट्रीय एकीकरण

समान नागरिक संहिता नागरिकों में समान नागरिकता की भावना को मजबूत कर सकती है। जब सभी नागरिकों पर समान नागरिक कानून लागू होंगे, तब राष्ट्रीय एकता एवं संवैधानिक राष्ट्रवाद की भावना को भी बल मिलेगा।

(5) सामाजिक सुधार

समाजशास्त्र के अनुसार कानून सामाजिक परिवर्तन का महत्वपूर्ण माध्यम है। समान नागरिक संहिता सामाजिक कुरीतियों, लैंगिक भेदभाव एवं असमानताओं को कम करने में सहायक सिद्ध हो सकती है।

14. समान नागरिक संहिता पर विभिन्न सामाजिक दृष्टिकोण

समान नागरिक संहिता के समर्थकों का मत है कि–

- यह संविधान के अनुच्छेद 14 एवं 15 में निहित समानता के सिद्धांत को सुदृढ़ करेगी।

- महिलाओं एवं बच्चों के अधिकारों की बेहतर सुरक्षा होगी।
- सामाजिक न्याय एवं धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा मिलेगा।
- न्यायिक व्यवस्था अधिक सरल एवं पारदर्शी बनेगी।
- राष्ट्रीय एकता मजबूत होगी।

विरोध करने वाले विद्वानों एवं सामाजिक संगठनों का मत है कि–

- भारत की सांस्कृतिक विविधता को पर्याप्त महत्व दिया जाना चाहिए।
- धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
- अल्पसंख्यक समुदायों में असुरक्षा की भावना उत्पन्न हो सकती है।
- व्यापक सामाजिक सहमति के बिना कानून लागू करना उचित नहीं होगा।

(ग) संतुलित दृष्टिकोण

अनेक संवैधानिक विशेषज्ञों का मत है कि समान नागरिक संहिता को एक झटके में लागू करने के बजाय चरणबद्ध एवं परामर्श-आधारित प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। सभी धार्मिक समुदायों, महिला संगठनों, विधि विशेषज्ञों, समाजशास्त्रियों एवं नागरिक समाज की सहभागिता से अधिक संतुलित एवं स्वीकार्य व्यवस्था विकसित की जा सकती है।

15. अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य

विश्व के अनेक देशों में नागरिक कानून समान रूप से सभी नागरिकों पर लागू होते हैं। फ्रांस, जर्मनी, इटली, पुर्तगाल तथा तुर्की जैसे देशों में विवाह, तलाक एवं उत्तराधिकार संबंधी मामलों में समान नागरिक कानून लागू हैं। कुछ देशों में धार्मिक परंपराओं को सीमित रूप से मान्यता दी गई है, जबकि नागरिक अधिकारों के मूल प्रश्नों पर समान विधिक व्यवस्था लागू होती है। भारत की स्थिति इन देशों से भिन्न है क्योंकि यहाँ धार्मिक, भाषाई एवं सांस्कृतिक विविधता अत्यंत व्यापक है। इसलिए भारतीय संदर्भ में किसी अन्य देश के मॉडल को यथावत अपनाना व्यावहारिक नहीं माना जा सकता। भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप, संविधान की भावना तथा सामाजिक विविधता को ध्यान में रखते हुए संतुलित मॉडल विकसित करना अधिक उपयुक्त होगा।

16. समान नागरिक संहिता एवं भारतीय समाज पर संभावित प्रभाव

समाजशास्त्रीय विश्लेषण के आधार पर समान नागरिक संहिता के भारतीय समाज पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ सकते हैं–

(1) सामाजिक परिवर्तन

कानून सामाजिक परिवर्तन का प्रभावी माध्यम है। यदि समान नागरिक संहिता न्यायपूर्ण एवं समावेशी होगी, तो यह सामाजिक समानता को प्रोत्साहित करेगी।

(2) लैंगिक समानता

महिलाओं को विवाह, तलाक, उत्तराधिकार एवं संपत्ति संबंधी मामलों में समान अधिकार प्राप्त होने से उनका सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण बढ़ेगा।

(3) संवैधानिक संस्कृति का विकास

नागरिकों में संविधान के प्रति विश्वास एवं संवैधानिक मूल्यों के प्रति सम्मान बढ़ेगा। नागरिक पहचान धर्म से ऊपर उठकर संवैधानिक नागरिकता की ओर अग्रसर होगी।

(4) न्याय व्यवस्था में सुधार

समान कानून होने से न्यायालयों में विधिक जटिलताएँ कम होंगी तथा निर्णय प्रक्रिया अधिक स्पष्ट एवं पारदर्शी बन सकेगी।

(5) सामाजिक समरसता

यदि कानून संवाद, सहमति तथा सभी समुदायों की भागीदारी के साथ बनाया जाएगा, तो यह सामाजिक समरसता एवं राष्ट्रीय एकता को मजबूत कर सकता है। किंतु यदि पर्याप्त संवाद के बिना लागू किया गया, तो सामाजिक तनाव उत्पन्न होने की संभावना भी बनी रह सकती है।

17. निष्कर्ष एवं सुझाव

समान नागरिक संहिता भारतीय संविधान के नीति-निर्देशक तत्वों में निहित एक महत्वपूर्ण संवैधानिक लक्ष्य है, जिसका उद्देश्य सभी नागरिकों को धर्म, जाति, लिंग एवं समुदाय से परे समान नागरिक अधिकार प्रदान करना है। भारतीय समाज की बहुलतावादी संरचना, धार्मिक विविधता तथा सांस्कृतिक परंपराएँ इस विषय को अत्यंत संवेदनशील एवं जटिल बनाती हैं।

इसलिए समान नागरिक संहिता केवल एक विधिक सुधार का प्रश्न नहीं है, बल्कि यह सामाजिक न्याय, लोकतांत्रिक मूल्यों, धार्मिक स्वतंत्रता तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़ा हुआ व्यापक समाजशास्त्रीय विषय है। प्रस्तुत अध्ययन से स्पष्ट होता है कि भारत में वर्तमान व्यक्तिगत कानून ऐतिहासिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियों में विकसित हुए हैं। यद्यपि इन कानूनों ने विभिन्न समुदायों की पहचान एवं परंपराओं को संरक्षित किया है, तथापि अनेक मामलों में विशेषकर महिलाओं के अधिकार, उत्तराधिकार, भरण-पोषण, विवाह एवं तलाक संबंधी विषयों में असमानता भी विद्यमान रही है। संविधान का अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, अनुच्छेद 15 भेदभाव का निषेध, अनुच्छेद 21 गरिमामय जीवन का अधिकार तथा अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता की दिशा में राज्य का मार्गदर्शन करते हैं। इन संवैधानिक प्रावधानों का सामूहिक उद्देश्य एक न्यायपूर्ण एवं समतामूलक समाज की स्थापना करना है। समाजशास्त्रीय दृष्टि से कानून सामाजिक परिवर्तन का प्रभावी माध्यम है।

1. समान नागरिक संहिता का प्रारूप तैयार करने से पूर्व सभी धार्मिक समुदायों, विधि विशेषज्ञों, समाजशास्त्रियों, महिला संगठनों एवं नागरिक समाज के प्रतिनिधियों से व्यापक परामर्श किया जाए।
2. समान नागरिक संहिता को चरणबद्ध रूप में लागू किया जाए, जिससे समाज को परिवर्तन के लिए पर्याप्त समय मिल सके।
3. महिलाओं एवं बच्चों के अधिकारों को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करते हुए सभी नागरिक कानूनों में लैंगिक समानता सुनिश्चित की जाए।
4. व्यक्तिगत कानूनों में विद्यमान भेदभावपूर्ण प्रावधानों का क्रमिक सुधार किया जाए चाहे वे किसी भी धर्म से संबंधित हों।
5. नागरिकों में संविधान, मौलिक अधिकारों एवं समान नागरिक संहिता के संबंध में व्यापक जन-जागरूकता अभियान चलाया जाए।
6. विधि आयोग एवं संसदीय समितियों द्वारा समय-समय पर सामाजिक प्रभावों का अध्ययन कर आवश्यक संशोधन किए जाएँ।

7. समान नागरिक संहिता का उद्देश्य धार्मिक एकरूपता नहीं, बल्कि नागरिक मामलों में समानता एवं न्याय होना चाहिए।

18. संदर्भ सूची

1. "Ambedkar, B. R. Constituent Assembly Debates" है।
2. जैन, एम.पी . Indian Constitutional Law. LexisNexis.
3. बसु, डी.डी . Introduction to the Constitution of India. LexisNexis.
4. Seervai, H. M. Constitutional Law of India.
5. Agnes, Flavia. Family Law and Constitutional Claims.
6. Tahir Mahmood. Personal Law in Crisis.
7. Paras Diwan. Family Law.
8. Baxi, Upendra. The Indian Constitution and Social Justice.
9. Ahuja, Ram. Indian Society. Rawat Publications.
10. Haralambos, M. Sociology: Themes and Perspectives.
11. Indian Journal of Constitutional Law.
12. Journal of Indian Law Institute.
13. Economic and Political Weekly.
14. Indian Bar Review.
15. Journal of Social Sciences.
16. Journal of Constitutional and Parliamentary Studies.
17. Mohd. Ahmed Khan v. Shah Bano Begum, AIR 1985 SC 945.
18. Sarla Mudgal v. Union of India, (1995) 3 SCC 635.
19. Vallamattom, John v. Union of India, (2003) 6 SCC 611.
20. Bano , Shayara v. Union of India, (2017) 9 SCC 1.
21. Danial Latifi v. Union of India, (2001) 7 SCC 740.